न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 145/2016

रज्जु दिनांकः 08/08/2016

निर्णय दिनांक :19/09/2016

1. सीताराम पुत्र स्व. लखमा
2. दयाराम पुत्र स्व. लखमा

समस्त जाति जाट, निवासीगणः तुम्बीपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर

——वादीगण

बनाम

1. रामलाल पुत्र स्व. लखमा जाति जाट निवासीः तुम्बीपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. हरि पुत्र स्व. हीरा
3. हजारी पुत्र स्व. हीरा
4. चेतन पुत्र स्व. हीरा
5. किशन पुत्र स्व. हीरा

समस्त जातियानः जाट, निवासीगणः तुम्बीपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

6. लाडा देवी पत्नि स्व. हीरा व्यस्क जाति जाट निवासीः तुम्बीपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
7. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
8. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मौजमाबाद, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

<u>वाद बाबत घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

Scanned by CamScanner

श्री नारायण सहाय पारीक एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादीगण
श्री शिवराम शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रति. सं. 1 ल0 6
श्री सुरेन्द्र शर्मा एडवोकेट
श्री मोहित कुमार सैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रति. सं. 7

निर्णय दिनांक 19/09/2016

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद बाबत घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वर्गीय लखमा के वारिसान है तथा आराजीयात वाके ग्राम तुम्बीपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बराबर हिस्सा है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है। पक्षकारान लखमा के वंशज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि जो पुश्तैनी एवं संयुक्त रूप से क्रय की गई आराजीयात है जिसे कब्जा काश्त बराबर चली आ रही है लेकिन वर्तमान में बढ़ते जमीनो के भाव से प्रतिवादीगण की नियत में कुछ खोट आने लगी है जिससे वाद विरूद्व प्रतिवादीगण घोषणात्मक, तकासमा का पेश किया जाना आवश्यक है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के जो वर्तमान में जमीन चली आ रही है वह निम्न प्रकार परिशिष्ट में दर्ज कि जा रही है। परिशिष्ठ ए में खसरा नंबर 2201, 2244, 2293, 2336, 2337, 2340, 2570 कुल किता 7 कुल रकबा 3.36 हैक्टेयर व खसरा नंबर 2200 एवं 2381 कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। परिशिष्ठ बी में खसरा नंबर 2291 रकबा 0.57 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 व वादी संख्या 01 व 02 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ल0 6 का 1/4 हिस्सा है। परिशिष्ठ सी में खसरा नंबर 2188, 2228, 2236, 8578/2234 कुल किता 4 कुल रकबा 1.99 हैक्टेयर वादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। परिशिष्ठ डी में खतौनी संख्या 263 के खसरा नंबर 2197, 2198, 2224, 2225, 2232, 2233, 2285, 2286, 2307, 2317, 2342, 2343, 2344, 2529, 2583, 2584,

Scanned by CamScanner

2585, 2588, 2591 कुल किता 19 कुल रकबा 14.74 हैक्टेयर है। खसरा नंबर 2285 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2286 रकबा 2.62 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2591 रकबा 1.01 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। परिशिष्ठ ई में खसरा नंबर 2489, 2490, 2495, 2496, 2499, 2500, 2505, 2549, 2550, 2551, 2552, 2558, 2498 कुल किता 13 कुल रकबा 16.28 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 ल0 6 का 11/48 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा है। परिशिष्ठ एफ में खसरा नंबर 2521, 2522, 2553, 2554, 2555, 2561 कुल किता 6 कुल रकबा 8.71 हैक्टेयर में 11/48 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ल0 6 के नाम दर्ज है। परिशिष्ठ जी में खसरा नंबर 2285, 2286, 2591 कुल किता 3 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल0 5 का बराबर हिस्सा है। वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल0 6 निम्नानुसार काबिज काश्त है तथा अपने हिस्से को काफी विकसित कर लिया है जो निम्नानुसार है। वादी संख्या 1 सीताराम का खसरा नंबर 2286 रकबा 0.62 है0 संपूर्ण, खसरा नंबर 2285 रकबा 0.35 है0 संपूर्ण, खसरा नंबर 2200 रकबा 0.25 है0 1/3 हिस्सा सीताराम का, खसरा नंबर 2201 रकबा 0.25 है0 1/3 हिस्सा दयाराम व 1/3 रामलाल का, खसरा नंबर 2228 रकबा 0.92 है0 1/2 हि0 सीताराम का, 1/2 हिस्सा दयाराम का, खसरा नंबर 2188 रकबा 0.56 है0 1/2 हि0 सीताराम का, 1/2 हिस्सा दयाराम का। वादी संख्या 2 दयाराम खसरा नंबर 2591 रकबा 1.52 है0 में से 1.01 है0 दयाराम शेष अन्य का यथावत, खसरा नंबर 2228 रकबा 0.92 है0 में से 1/2 हिस्सा दयाराम का, खसरा नंबर 2200 रकबा 0.25 है0 में से 1/3 हिस्सा दयाराम का, खसरा नंबर 2201 रकबा 0.25 है0 में से 1/3 हिस्सा दयाराम का, खसरा नंबर 2188 रकबा 0.56 है0 में से 1/2 हिस्सा दयाराम का, परिशिष्ठ ई में हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 2 ल0 6 के हिस्से में से 11/48 में से 1/3 दयाराम का। प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल खसरा नंबर 2570 रकबा 1.04 है0 संपूर्ण हिस्सा रहेगा, खसरा नंबर 2293 रकबा 0.76 है0 संपूर्ण हिस्सा रहेगा, खसरा नंबर 2291 रकबा 0.57 है0 संपूर्ण हिस्सा रहेगा, खसरा नंबर 2244 रकबा 0.56 है0 संपूर्ण हिस्सा रहेगा, खसरा नंबर 2200 रकबा 0.25 है0 1/3 हिस्सा, खसरा नंबर 2201 रकबा 0.25 है0 1/3 हिस्सा, खसरा नंबर 2381 रकबा 1.00 है0 में से 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 2337 रकबा 0.44 है0 में से 1/2 हिस्सा शेष अन्य का रहेगा। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के खसरा नंबर 8578/2234 रकबा 0.14 है0 संपूर्ण, खसरा नंबर 2336 रकबा 0.37 है0 संपूर्ण, खसरा नंबर 2337 रकबा 0.44 है0 हिस्सा 1/2, खसरा नंबर 2340 रकबा 0.30 संपूर्ण, खसरा नंबर 2236 जो गै.मु. चाह है वादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का

Scanned by CamScanner

1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का 1/4 हिस्सा व परिशिष्ठ ई में वर्णित आराजीयात में 11/48 में से 2/3 हिस्सा रहेगा। वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपरोक्तानुसार काबिज काश्त है लेकिन प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में जमीन ज्यादा होने से कई बार कहने पर भी नाम लगवाने से इंकार कर दिया जिससे वाद विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादीगण ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया वाद में वर्णितानुसार वाद डिक्री किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। वाद में वर्णितानुसार विभाजन किया जावे एवं लगान फेटबंदी की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के हिस्से में बेदखल बाजी न स्वयं करे न अन्य से करावे। निर्णय एवं डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबादको भिजवाई जावे एवं अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में करवाये जाने के आदेश प्रदान करे। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 24.08.2016 को प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से श्री सुरेन्द्र शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 31.08.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 ल0 6 की ओर से श्री शिवराम शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। नकल वकील प्रतिवादी को दिलवाई गई। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र पर असाप्राप्ति प्रस्तुत की। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद में लाल स्याही से दुरूस्ती करवाई गई। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण ने पक्षकारान की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया, राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

राजीनामा का अवलोकन किया गया। पक्षकारान ने अपने राजीनामा में यह तथ्य अंकित किये कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजीयात ग्राम तुम्बीपुरा, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है जो निम्न प्रकार स्थित है। परिशिष्ठ ए में खसरा नंबर 2201, 2244, 2293, 2336, 2337, 2340, 2570 कुल किता 7 कुल रकबा 3.36 हैक्टेयर व खसरा नंबर 2200 एवं 2381 कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। परिशिष्ठ बी में खसरा नंबर 2291 रकबा 0.57 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 व वादी संख्या 01 व 02 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ल0 6 का 1/4 हिस्सा है।

Scanned by CamScanner

परिशिष्ठ सी में खसरा नंबर 2188, 2228, 2236, 8578/2234 कुल किता 4 कुल रकबा 1.99 हैक्टेयर वादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। परिशिष्ठ डी में खतौनी संख्या 263 के खसरा नंबर 2197, 2198, 2224, 2225, 2232, 2233, 2285, 2286, 2307, 2317, 2342, 2343, 2344, 2529, 2583, 2584, 2585, 2588, 2591 कुल किता 19 कुल रकबा 14.74 हैक्टेयर है। खसरा नंबर 2285 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2286 रकबा 2.62 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2591 रकबा 1.01 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। परिशिष्ठ ई में खसरा नंबर 2489, 2490, 2495, 2496, 2499, 2500, 2505, 2549, 2550, 2551, 2552, 2558, 2498 कुल किता 13 कुल रकबा 16.28 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 ल0 6 का 11/48 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा है। परिशिष्ठ एफ में खसरा नंबर 2521, 2522, 2553, 2554, 2555, 2561 कुल किता 6 कुल रकबा 8.71 हैक्टेयर में 11/48 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ल0 6 के नाम दर्ज है। परिशिष्ठ जी में खसरा नंबर 2285, 2286, 2591 कुल किता 3 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल0 5 का बराबर हिस्सा है। वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल0 6 निम्नानुसार काबिज काश्त है जिसके अनुसार आपस में राजीनामा हुआ है। वादी संख्या 1 सीताराम खसरा नंबर 2286 रकबा 0.62 है0 संपूर्ण, खसरा नंबर 2285 रकबा 0.35 है0 संपूर्ण, खसरा नंबर 2200 रकबा 0.25 है0 1/3 हिस्सा सीताराम का, खसरा नंबर 2201 रकबा 0.25 है0 1/3 हिस्सा दयाराम का, 1/3 रामलाल का व 1/3 हिस्सा सीताराम का, खसरा नंबर 2228 रकबा 0.92 है0 1/2 हि0 सीताराम का, 1/2 हिस्सा दयाराम का, खसरा नंबर 2188 रकबा 0.56 है0 1/2 हि0 सीताराम का, 1/2 हिस्सा दयाराम का। वादी संख्या 2 दयाराम खसरा नंबर 2591 रकबा 1.52 है0 में से 1.01 है0 दयाराम शेष अन्य का यथावत, खसरा नंबर 2228 रकबा 0.92 है0 में से 1/2 हिस्सा दयाराम का, खसरा नंबर 2200 रकबा 0.25 है0 में से 1/3 हिस्सा दयाराम का, खसरा नंबर 2201 रकबा 0.25 है0 में से 1/3 हिस्सा दयाराम का, खसरा नंबर 2188 रकबा 0.56 है0 में से 1/2 हिस्सा दयाराम का, परिशिष्ठ ई एवं एफ में हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 2 ल0 6 के हिस्से में से 11/48 में से 1/3 दयाराम का। प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल खसरा नंबर 2570 रकबा 1.04 है0 संपूर्ण हिस्सा रहेगा, खसरा नंबर 2293 रकबा 0.76 है0 संपूर्ण हिस्सा रहेगा, खसरा नंबर 2291 रकबा 0.57 है0 संपूर्ण हिस्सा रहेगा, खसरा नंबर 2244 रकबा 0.56 है0 संपूर्ण हिस्सा रहेगा, खसरा नंबर 2200 रकबा 0.25 है0 1/3 हिस्सा, खसरा नंबर 2201 रकबा 0.25 है0 1/3 हिस्सा, खसरा नंबर 2381 रकबा 1.00 है0 में 0.60 हैक्टेयर संपूर्ण हिस्सा, खसरा नंबर 2337 रकबा 0.44 है0 में से 1/2 हिस्सा शेष अन्य का रहेगा। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के खसरा

Scanned by CamScanner

नंबर 8578/2234 रकबा 0.14 है0 संपूर्ण, खसरा नंबर 2336 रकबा 0.37 है0 संपूर्ण, खसरा नंबर 2337 रकबा 0.44 है0 हिस्सा 1/2, खसरा नंबर 2340 रकबा 0.30 संपूर्ण, खसरा नंबर 2236 जो गै.मु. चाह है वादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का 1/4 हिस्सा व परिशिष्ठ ई एवं एफ में वर्णित आराजीयात में 11/48 में से 2/3 हिस्सा रहेगा। जो प्रतिवादी संख्या 6 का हक हिस्सा निहित है उसको अगर प्रतिवादीगण संख्या 2 ल0 5 के हक में नाम लगा दिया जावे तो प्रतिवादी संख्या 6 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा अनुसार विवादित आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य तकासमा किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 06 के हिस्से की आराजीयात प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नाम लगा दी जाती है तो हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, राजीनामा इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 खातेदार काश्तकार है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामानुसार वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार घोषित किये जाने व तकासमा किये जाने का निवेदन किया।

चूंकि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है एवं वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने राजीनामानुसार वादग्रस्त आराजीयात का तकासमा व खातेदारी घोषणा किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है, न्यायहित में वादीगण का वाद राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित ग्राम तुम्बीपुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में वादी संख्या 1 सीताराम खसरा नंबर 2286 रकबा 0.62 है0 संपूर्ण, खसरा नंबर 2285 रकबा 0.35 है0 संपूर्ण, खसरा नंबर 2200 रकबा 0.25 है0 1/3 हिस्सा सीताराम का, खसरा नंबर 2201 रकबा 0.25 है0 1/3 हिस्सा दयाराम का, 1/3 रामलाल का व 1/3 हिस्सा सीताराम का, खसरा नंबर 2228 रकबा 0.92 है0

नोट:- आदेश दिनांक 23/11/16 के ख.नं. 2286 रकबा 0.62 है० की जगह ख.नं. 2286 रकबा 2.62 है० पढ़ा जावे

1/2 हि0 सीताराम का, 1/2 हिस्सा दयाराम का, खसरा नंबर 2188 रकबा 0.56 है0 1/2 हि0 सीताराम का, 1/2 हिस्सा दयाराम का। वादी संख्या 2 दयाराम खसरा नंबर 2591 रकबा 1.52 है0 में से 1.01 है0 दयाराम शेष अन्य का यथावत, खसरा नंबर 2228 रकबा 0.92 है0 में से 1/2 हिस्सा दयाराम का, खसरा नंबर 2200 रकबा 0.25 है0 में से 1/3 हिस्सा दयाराम का, खसरा नंबर 2201 रकबा 0.25 है0 में से 1/3 हिस्सा दयाराम का, खसरा नंबर 2188 रकबा 0.56 है0 में से 1/2 हिस्सा दयाराम का, परिशिष्ठ ई एवं एफ में हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 2 ल0 6 के हिस्से में से 11/48 में से 1/3 दयाराम का। प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल खसरा नंबर 2570 रकबा 1.04 है0 संपूर्ण हिस्सा रहेगा, खसरा नंबर 2293 रकबा 0.76 है0 संपूर्ण हिस्सा रहेगा, खसरा नंबर 2291 रकबा 0.57 है0 संपूर्ण हिस्सा रहेगा, खसरा नंबर 2244 रकबा 0.56 है0 संपूर्ण हिस्सा रहेगा, खसरा नंबर 2200 रकबा 0.25 है0 1/3 हिस्सा, खसरा नंबर 2201 रकबा 0.25 है0 1/3 हिस्सा, खसरा नंबर 2381 रकबा 1.00 है0 में 0.60 हैक्टेयर संपूर्ण हिस्सा, खसरा नंबर 2337 रकबा 0.44 है0 में से 1/2 हिस्सा शेष अन्य का रहेगा। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के खसरा नंबर 8578/2234 रकबा 0.14 है0 संपूर्ण, खसरा नंबर 2336 रकबा 0.37 है0 संपूर्ण, खसरा नंबर 2337 रकबा 0.44 है0 हिस्सा 1/2, खसरा नंबर 2340 रकबा 0.30 संपूर्ण, खसरा नंबर 2236 जो गै.मु. चाह है वादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का 1/4 हिस्सा व परिशिष्ठ ई एवं एफ में वर्णित आराजीयात में 11/48 में से 2/3 हिस्सा रहेगा। उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य तकासमा किया जाता है। तहसीलदार मौजमाबाद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 8 के हक का निस्तारण होने के पश्चात निर्णयानुसार व राजीनामानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व चाहा गया स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/09/2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

दूदू, जिला जयपुर

नोट :- आदेश दिनांक 23/11/16 के ख.नं. 2336 रकबा 0.37 है0 की जगह ख.नं. 2236 रकबा 0.37 है0 एवं ख.नं. 2236 की जगह ख.नं. 2336 पढ़ा जावे।

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31?72

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू, जिला जयपुर

व इजलास श्री सावन कुमार [illegible], आर.ए.एस.

1. मोतीराम 2. [illegible] पुत्रान स्व. [illegible] जाति जाट नि. [illegible] बनाम 1. रामलाल पुत्र स्व. [illegible] 2. [illegible] 3. हजारी [illegible] 4. [illegible] 5. किशन पुत्रान स्व. हीरा 6. [illegible] देवी [illegible] स्व. हीरा जाति जाट नि. [illegible] बाबत [illegible]

मुकदमा नं. 145/2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री नारायण सहाय पारीक एड.

व हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रूबरू श्री सुरेन्द्र शर्मा एड.

.... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादीगण का वाद तरमीम अन्दराज खातेदारी का डिक्री किया जाकर ग्राम [illegible] नारायणपुरा स्थित ग्राम [illegible], तह. मौजमाबाद जिला जयपुर के वादी सं. 1 मोतीराम ख.नं. 2286 रकबा 0.62 है. सम्पूर्ण, ख.नं. 2285 रकबा 0.35 है. सम्पूर्ण, ख.नं. 2200 रकबा 0.25 है. 1/3 हिस्सा मोतीराम का, ख.नं. 2201 रकबा 0.25 है. 1/3 हिस्सा हजारीराम का, 1/3 रामलाल का व 1/3 हिस्सा मोतीराम का, ख.नं. 2228 रकबा 0.92 है. 1/2 हि० [illegible]

[खर्चा इस मुकदमें के ...] .... [तारीख से]

तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 09/2016 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

दस्तखत ....

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

नोट:- आदेश दि० 23/11/16 से ख.नं. 2286 रकबा 0.62 है. की जगह ख.नं. 2286 रकबा 2.62 है., ख.नं. 2336 रकबा 0.37 है. की जगह ख.नं. 2236 रकबा 0.37 है. एवं ख.नं. 2236 की जगह ख.नं. 2336 पढ़ा जावे।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner